

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1396 /2022.लखनऊ::दिनांक:सितम्बर, 13 ,2022

-:: आदेश ::-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 वाराणसी ने अपने पत्र संख्या-307/22 दिनांक 20.08.2022 द्वारा सूचित किया है कि उनकी माताजी का स्वर्गवास दिनांक 17.10.2021 को हो गया था तथा उनकी प्रथम पुण्यतिथि में सम्मिलित होने के लिए उन्हें सपरिवार अपने गृह जनपद सिद्धार्थनगर जाना पड़ेगा तथा ऐसी स्थिति में माह अक्टूबर 2022 में गठित युगल पीठ दिनांक 17.10.2022 से 21.10.2022 में उनका उपस्थित रहना सम्भव नहीं हो पाएगा।

अतः सदस्य पीठ-3 वाराणसी द्वारा अपने पत्र सं0-307/22 दिनांक 20.08.2022 में उल्लिखित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वाराणसी में दिनांक 17.10.2022 से 21.10.2022 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है।

ह0/13.09.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

युगल
पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1396 /2022, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2/3/4/5/6 वाराणसी।
2. मुंसरिम/ वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण /कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।